

राम से जय श्री राम तक.....

## सरदार पटेल का आरएसएस के सरसंघचालक गोलवलकर को लिखा खत.....

महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर 4 फरवरी 1948 को प्रतिबंध लगा दिया गया था. देश के पहले गृहमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल द्वारा. इस प्रतिबंध के छह महीने बाद सरदार पटेल ने संघ के संस्थापक गोलवलकर को खत लिखा था. इस खत के माध्यम से पटेल की संघ और देश की एकता के बारे में विचार जाने जा सकते हैं. पढ़िए गोलवलकर को लिखा सरदार पटेल का खत.

नई दिल्ली, 11 सितंबर, 1948

औरंगजेब रोड

भाई श्री गोलवलकर,

आपका खत मिला जो आपने 11 अगस्त को भेजा था। जवाहरलाल ने भी मुझे उसी दिन आपका खत भेजा था। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विचार भली-भांति जानते हैं। मैंने अपने विचार जयपुर और लखनऊ की सभाओं में भी व्यक्त किए हैं। लोगों ने भी मेरे विचारों का स्वागत किया है। मुझे उम्मीद थी कि आपके लोग भी उनका स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है मानो उन्हें कोई फर्क ही न पड़ा हो और वो अपने कार्यों में भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर रहे। इस बात में कोई शक नहीं है कि संघ ने हिंदू समाज की बहुत सेवा की है। जिन क्षेत्रों में मदद की आवश्यकता थी उन जगहों पर आपके लोग पहुंचे और श्रेष्ठ काम किया है। मुझे लगता है इस सच को स्वीकारने में किसी को



सरदार पटेल को रावण का एक चेहरा बताने वाले और उनकी हत्या करनेकी इच्छा रखने वाले संघी आज पटेल का नाम भुनाना चाहते हैं। अग्रणी हिन्दू राष्ट्र पत्रिका में 30 जनवरी 1948 को छपा नाथूराम गोडसे का बनाया कार्टून। गांधी रावण के रूप में। सावरकर और श्यामाप्रसाद मुखर्जी राम और लक्ष्मण के रूप में रावण के रूप में पहला चेहरा सरदार पटेल, दूसरा चेहरा राजगोपालाचारी, तीसरा राजेन्द्र प्रसाद, चौथा नेहरू, पाँचवाँ गांधी, छठा जिन्नाह, सातवाँ सुभाषचन्द्र बोस, आठवाँ सरदार पटेल, नौवाँ मौलाना आज़ाद और दसवाँ दादा भाई नौरोजी।

रामचन्द्र गुहा ने इण्डिया आफ्टर गाँधी: द हिस्ट्री आफ वर्ल्ड्स लाज्स्ट डेमोक्रेसी में लिखा है कि कुछ ही राष्ट्र ऐसे होंगे जिनके पास एक ही समय ऐसी बौद्धिक क्षमता से सम्पन्न नेतृत्व रहा हो जैसा जवाहर लाल नेहरू, भीमराव अम्बेदकर और सरदार पटेल में था और वे साथ में रहकर काम कर रहे थे।

सरदार पटेल सबसे पहले किसान नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों के अधीन गुलाम भारत में किसानों को संगठित किया। उन्हें सक्षम बनने में मदद की। उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की थी और अपने जीवन में एक तर्कसंगत और न्यायिक विवेक युक्त जीवन जिया।

उन्होंने महात्मा गाँधी के सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर बड़ी हुई लगान के खिलाड़ी बारदोलाई तालुक में अप्रैल-जून, 1928 में सत्याग्रह किया। पटेल गाँव-गाँव गए और और किसानों से कहा कि उन्हें किसी से डरना नहीं चाहिए। बल्लभभाई पटेल के पीछे हिन्दू, मुसलमान, पारसी- सब खड़े थे, औरतों ने भी बड़ी मजबूती से उनका साथ दिया। यह दिखाता है कि सरदार पटेल उन लोगों में थे जो मानते थे कि देश की मुक्ति में महिलाओं की स्पष्ट भूमिका है। जिन्हें सहारे नहीं बल्कि सम्मान की जरूरत है। इस सत्याग्रह के बाद से बल्लभभाई को सरदार कहा जाने लगा।

जनवरी, 1948 के एक भाषण में उन्होंने कहा "हमने अभी-अभी सुना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को हिन्दुस्तान से निकाल देना चाहिए। जो ऐसा कहते हैं, वो पागल हैं। अगर हम हरेक व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, के ट्रस्टी नहीं हो सकते, तो हमें शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। सरदार ने एक जबाब में साफ कहा कि "हिन्दुस्तान कभी भी हिन्दू राज्य नहीं हो सकता। हमें नहीं भूलाना चाहिए कि यहाँ कई अल्पसंख्यक जातियाँ रहती हैं, जो हमारा जिम्मा हैं। यह राज्य सबके लिए है।"

सरदार ने 1923 में कहा था "अंग्रेज भारत से रु0 5 करोड़ की कपास खरीदते हैं और रु0 60 करोड़ का कपड़ा बेचते हैं। हमसे जो पैसा मिलता है उससे वे कमिश्नरों और कलेक्टरों को पैसा देते हैं। वे हथियार खरीदते हैं जिससे वे हमें जूतों की नोक पर रख सकें।"

आजाद भारत की सरकारें विदेशी निवेश बुलाकर फूली नहीं समातीं। जहाँ विकास सबसे ज्यादा है वहाँ विदेशी निवेश भी सबसे ज्यादा है।

भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सारी समस्या तब शुरू होती है जब ये ही लोग मुसलमानों से प्रतिशोध लेने के लिए कदम उठाते हैं। उन पर हमले करते हैं। हिंदुओं की मदद करना एक बात है लेकिन गरीब, असहाय लोगों, महिलाओं और बच्चों पर हमले करना बिल्कुल असहनीय है।

इसके अलावा देश की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस पर आपलोग जिस तरह के हमले करते हैं उसमें आपके लोग सारी मर्यादाएं, सम्मान को ताक पर रख देते हैं। देश में एक अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। संघ के लोगों के भाषण में सांप्रदायिकता का जहर भरा होता है। हिंदुओं की रक्षा करने के लिए नफरत फैलाने की लहर के कारण देश ने अपना पिता खो दिया। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। सरकार या देश की जनता में संघ के लिए सहानुभूति तक नहीं बची है। इन परिस्थितियों में सरकार के लिए संघ के खिलाफ निर्णय लेना अपरिहार्य हो गया था।



आपका बल्लभ भाई पटेल (इतिहास के पत्रों से)

## चुनाव में शराब बंटने की कवरेज करने पर पत्रकार को पीटा

शायद मैं हिमाचल अब कभी न जाऊं... जी हां, हम और हमारी टीम लगातार पिछले एक महीने से डीपीआर से आज लेकर चुनावी कवरेज पर थे।

सब कुछ अच्छा जा रहा था हिमाचल को बेहद करीब से देखा, जैसा सुना वैसा लगा भी। पर शायद मैं किसी भ्रम में ही था, या शायद कोई बुरा सपना जो परसो रात टूट गया।

हम पौटा साहिब में राहुल की रैली कर के नाहन के लिये निकले, क्योंकि वहाँ भी मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र की रैली थी। बहुत अच्छा जा रहा था और हम निकलने वाले थे कि स्थानीय लोगों से पता चला कि यहाँ रात को शराब बंटती है। एक गजब की स्टोरी हमारे सामने थी, और हम सुबह से उस स्टोरी पर काम करना शुरू भी कर चुके थे।

चुकी हम बाहरी थे तो हमारे चैनल के वहाँ के रिपोर्टर का साथ हमें चाहिए था, जो कि मिला भी। दिन में मैंने हरियाणा के कुछ मंत्री और एमएलए वहाँ मिलें जिनकी मैंने बाईट भी ली, चुनावी माहौल पर चर्चा भी की। पर हमें वहाँ कुछ ऐसा नहीं लगा जो सुत्रों से पता लगता। पर लगता है मेरे जीवन के सबसे काली रात में से एक थी 7 नवम्बर को 5 बजे तक प्रचार थमने वाला था, जैसे शाम हुई वाकई सरेआम चुनाव आयोग की धज्जियाँ उड़ी मिली। भाजपा कार्यालय में शराब का वितरण हो रहा था। ग्रामीण लोगों को पर्जी दी जा रही थी जो किसी निजी होटल में दिखा शराब ले सकते थे।

मैं और मेरे सर, चंद्र मौली शर्मा ने जैसे पुरा माहौल देखा और कुछ हिला देने वाले विजुवल हाथ लगे तो हम भी हिल गये कि शराब में इतनी खेप।

हमारे हाथ इतना मैटिरियल लग चुका था कि हम चैनल पर चला सकें। उसके साथ हमें भाजपा प्रत्याशी नाहन का पक्ष भी जानना था तो हम स्थानीय पत्रकार को कॉल की, पर उस समय वो बाहर थे तो हमने भाजपा के मीडिया सलाहकार से समय मांगा कि एक बाइट चाहिये तो भाजपा प्रत्याशी नेहमारी टीम को ऑफिस में बाईट लेने का समय दिया। जैसे ही हमने बिंदलजी को बाहर ही पार्टी के ऑफिस के बाईट लेनी चाही और बताया कि आपके यहाँ के कुछ दृश्य भी हाथ लगे हैं तो भाजपा प्रत्याशी वहाँ से निकल पड़े और उनके जाने के करीब 2-3 मिनट बाद सभी पार्टी कार्यकर्ता हम पर टूट पड़े।

मोब लीचोंग को आज तक सिर्फ टीवी पर देखा था। शिकार पहली बार हुए थे। जैसे ही हमारे साथ छिना-झपटी हुई तो उन्होंने सबसे पहले कैमरा छिना और मुझे अंदर खिंचने लगे। जैसे ही मेरे सर, चंद्र मौली जी बीच-बचाव को आये तो उनको वे भाजपा कार्यालय में ले जा रहे थे तभी सर ने कहा कि, भाग और एस.पी. को फोन करो मैंने जैसे फोन किया, पुलिस 1 घंटे बाद आकर उल्टा हमें ही थाने ले जाती है।

युद्धवीर सिंग थाना प्रभारी गुन्नाघाट (नाहन) थाने ले जाकर कहते हैं कि 'तुम साले पत्रकार हो जुती खाने लायक' और न जाने क्या-क्या ... मैडिकल में जान बुझ कर रात से अगले दिन की शाम करना, ताकि बिना मेडिकल की बात रूक जाये... सहन बहुत किया पर कुछ लोकल पत्रकारों की वजह से बहुत सहायता हुई... सर का फोन नहीं था सिर्फ मेरा फोन था। मैंने किस-किस प्रकार का दबाव झेला, फोन पे फ़ोन एफ़आईआर वापिस लेने का... मैं टूट चुका था, पर सर की हिम्मत से संघी और भाजपा के गुंडों से लड़ाई जारी है... जो सहा सब लिखना चाहता हूँ पर हिम्मत नहीं अब...।

पत्रकार गौरव सगवाल 24 x न्यूज

## बेगुनाहों को फ़ांसना पुलिस की आदत हो गयी है

गुडगांव-फ़रीदाबाद (म.मो.) रेयान पब्लिक स्कूल में हुई एक बच्चे की हत्या के तुरंत बाद जिस चुस्ती-फुर्ती से पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को पकड़ कर अपनी पीठ थपथपाई थी, उसी फुर्ती से अब गुडगांव पुलिस की भद्र भी पीट रही है।

हत्या के इस केस का शीघ्रतिशीघ्र खुलासा करके श्रेय लेने के चक्कर में पुलिस ने उसी स्कूल की एक बस के कंडक्टर को हत्यारोपी बनाया और फ़िर पीट-पीट कर उससे हत्या का अपराध स्वीकार भी करा लिया। यदि पीड़ित परिवार एवं जनता के दबाव में सीबीआई द्वारा मामले की जांच न कराई जाती तो निर्दोष अशोक तो चढा दिया गया था जेल की गाड़ी में।

बेगुनाहों के प्रति पुलिस द्वारा किया जाने वाला इस तरह का गुनाह न तो पहला है न आख़री। आये दिन पुलिस वाले झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं, बेगुनाहों को पकड़ते हैं और पीट-पीट कर उनसे हां भरवा कर झूठे सबूतों के बल पर उन्हें सज़ा करवाते हैं।

इसी तरह का एक मामला 'मजदूर मोर्चा' ने 1-15 जनवरी 2014 के अंक में प्रकाशित किया था। उसका शीर्षक था 'हत्यारे आजाद, निर्दोष जेल में बंद और बर्बाद।' थाना एनआईटी में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दर्ज एफ़आईआर नम्बर 83/12 में दो बेगुनाहों-धर्मदेव व रमई राम-को लपेट कर जेल भेज दिया गया था। रंगाई-पुताई की मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले दोनों को पुलिस द्वारा तब तक मारा-पीटा जाता रहा जब तक उन्होंने हत्यारा होना स्वीकार नहीं कर लिया। इनके बचाव में सीबीआई भी नहीं आई थी। इत्तफ़ाक से कुछ सूत्र 'मजदूर मोर्चा' के हाथ लग गये तो सारा मामला प्रकाशित हो गया था। तत्कालीन सेशन जज दर्शन सिंह द्वारा 'मोर्चा' में छपी खबर का संज्ञान लिये जाने पर उक्त दोनों को बरी किया गया तथा असली हत्यारे, जिसे पुलिस ने केवल चोरी के मामले में पकड़ रखा था, को हत्यारोपी बना कर पेश किया गया।

इस मामले के असल दोषी तत्कालीन एसएचओ अनिल कुमार व उसके संरक्षण तत्कालीन सीपी कपूर को आज तक कोई सज़ा नहीं मिली। नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करते हुए एसएचओ को तुरंत गिरफ़्तार कर लिया जाना चाहिये था। परन्तु सेशन जज के आदेश के बावजूद उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कार्यवाही तो दूर उसे लगातार एक से बढ़िया एक लूट-कमाई के थानों का एसएचओ लगाया जा रहा है। गत सप्ताह डीजीपी ने बेशक उसका तबादला कैथल का कर दिया है, इसके बावजूद वह अभी तक थाना सराय ख्वाजा छोड़ने को तैयार नहीं। क्योंकि उसे स्थानीय सांसद कृष्णपाल का संरक्षण प्राप्त है।

हां कार्यवाही के नाम पर विभाग ने उस एसआई दिलावर सिंह के खिलाफ़ ज़रूर कार्यवाही कर दी जिसने असल हत्यारे को पकड़ा। उसकी 2 वर्ष की सेवा काट दी गयी। लेकिन अपील में डीजीपी ने यह सज़ा माफ़ कर दी क्योंकि वह पूरी तरह से बेगुनाह था।

तत्कालीन डीजीपी श्रीनिवास वशिष्ठ ने उक्त दोनों बेगुनाहों को 5-5 लाख बतौर मुआवजा देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उन्हें एक पैसा भी नहीं मिला। ऐसे में क्यों न निर्दोष लोग पुलिसिया अत्याचार के शिकार बनते रहेंगे?